



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 बैशाख, 1945 (श०)

संख्या - 242 राँची, मंगलवार,

2 मई, 2023 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

28 अप्रैल 2023

अधि.सं. - 8/चुनाव/03/2020/न.वि.आ. - 1680--झारखण्ड राज्य अन्तर्गत कुल 34 शहरी स्थानीय निकायों यथा-1. गढ़वा नगर परिषद (वर्ग-ख), 2. श्रीबंशीधर नगर पंचायत, 3. मेदिनीनगर नगर निगम, 4. छतरपुर नगर पंचायत, 5. हुसैनाबाद नगर पंचायत 6. लातेहार नगर पंचायत, 7. चतरा नगर परिषद (वर्ग-ख), 8. हजारीबाग नगर निगम, 9. डोमचांच नगर पंचायत, 10. गिरीडीह नगर निगम, 11. मधुपुर नगर परिषद (वर्ग-ख), 12. गोड्डा नगर परिषद (वर्ग-ख), 13. साहेबगंज नगर परिषद (वर्ग-ख), 14. राजमहल नगर पंचायत, 15. बरहरवा नगर पंचायत, 16. पाकुड़ नगर परिषद (वर्ग-ख), 17. दुमका नगर परिषद (वर्ग-ख), 18. बासुकीनाथ

नगर पंचायत, 19. जामताड़ा नगर पंचायत, 20. मिहिजाम नगर परिषद (वर्ग-ख), 21. चिरकुण्डा नगर परिषद (वर्ग-ख), 22. फुसरो नगर परिषद (वर्ग-ख), 23. रामगढ़ नगर परिषद (वर्ग-ख), 24. लोहरदगा नगर परिषद (वर्ग-ख), 25. गुमला नगर परिषद (वर्ग-ख), 26. खूँटी नगर पंचायत, 27. राँची नगर निगम, 28. बुण्डू नगर पंचायत 29. सिमडेगा नगर परिषद (वर्ग-ख), 30. चाईबासा नगर परिषद (वर्ग-ख), 31. आदित्यपुर नगर निगम, 32. सरायकेला नगर पंचायत, 33. कपाली नगर परिषद (वर्ग-ख) एवं 34. चाकुलिया नगर पंचायत के वर्ष 2018 में निर्वाचित परिषदों (बोर्ड) का कार्यकाल बोर्ड बैठक की प्रथम तिथि दिनांक-28.04.2018 के पाँच वर्ष के उपरांत दिनांक-27.04.2023 को समाप्त हो रहा है।

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-27 में नगरपालिका अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए महापौर/अध्यक्ष के पदों के आवंटन के लिए प्रावधानित चक्रानुक्रम में संशोधन के पश्चात् झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2012 के सुसंगत नियमों में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या W.P.(C) No. -980/2019, Vikas Kishanrao Gawali V/s State of Maharashtra & Ors. में पारित आदेश के आलोक में स्थानीय शहरी निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण का अनुपातिक निर्धारण हेतु Dedicated Commission के गठन की कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है।

अतएव उपर्युक्त नगर निकायों में वर्तमान में गठित परिषदों (बोर्ड) का विनिर्दिष्ट 05 वर्षों की अवधि (दि.-28.04.2018 से दि.-27.04.2023) के अवसान के पूर्व निर्वाचन कराया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।

2. राज्य सरकार झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-16 की उपधारा (8) के प्रावधानानुसार नगर निकायों के लिए गठित परिषदों (बोर्ड) की विनिर्दिष्ट अवधि (05 वर्ष) समाप्त होने के पूर्व यदि निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है, तो उक्त अवधि (05 वर्ष) के अवसान के उपरांत संबंधित नगर निकायों की शक्तियाँ एवं कृत्यों के प्रयोग/सम्पादन हेतु प्रशासक अथवा प्रशासकों का परिषद की नियुक्ति कर सकती है।
3. उक्त के आलोक में वर्णित नगर निकायों में पदस्थापित नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी को आम निर्वाचन के पश्चात् निकाय परिषद (बोर्ड) की पहली बैठक तक, संबंधित नगर निकाय के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रशासक के रूप में नियुक्त पदाधिकारी निकाय परिषद (बोर्ड) की सभी शक्तियाँ एवं कार्यों का विधि अनुसार प्रयोग/सम्पादन करेंगे। आवश्यकतानुसार, वे नगर विकास एवं आवास विभाग का परामर्श प्राप्त कर सकेंगे।

-
4. अधिसूचना दिनांक-28.04.2023 से आगामी निर्वाचन के पश्चात् गठित होने वाले नगर परिषद (Board) की पहली बैठक तक प्रभावी होगी।
 5. प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-27.04.2023 में अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।
